न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 14/2020

GCMS No:- 2020/00144

सरकार जरिये सन्दीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

श्री परसराम पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा (विकता एवं मालिक)
हालः– वाहन (Pick up No. RJ14 CJ 2091)
थाना परिसर पुलिस स्टेशन बस्सी, जिला जयपुर।
मूल निवासीः– खेडली जल्लोउगन तह0 कामां, जिला भरतपुर–321022

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः 12/07/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को दूरभाष पर दिये गये निर्देशो की अनुपालना में खाद्य सुरक्षा अधिकारियो के संयुक्त दल के साथ पुलिस थाना बस्सी जिला जयपुर पहुंचा। वहां पर थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी द्वारा दी गई तहरीर कमांक 12878 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा दौराने रात्रि गश्त वाहन पिकअप संख्या RJ14 CJ 2091 को राजाधोक टोल प्लाजा पर चैक किया जाने पर विभिन्न क्षमता के प्लास्टिक आइस बॉक्स लोहे के बॉक्स में पनीर लगभग 1800 किलो एवं एक ड्रम में कीम (फुल फेट) लगभग 40 किलो मात्रा में भरी हुई पाई गई के संबंध में अवगत कराया एवं वर्तमान में उक्त पिकअप थाना परिसर पुलिस थाना बस्सी के खडा किया जाना बताया। पुलिस दल के साथ उक्त वाहन संख्या RJ14 CJ 2091 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाहन पर श्री परसराम पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को उक्त वाहन का चालक होना बताया। निरीक्षण में उक्त वाहन में रखे हुए पनीर 1800 किलोग्राम एवं कीम (फुल फेट) लगभग 40 कि.ग्रा. को आम जनता को विकय किये जाने हेतु परिवहन किया जाना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 800 ग्राम कीम (फुल फेट) वास्ते नमुना जांच संख्या AN-1867 के नमूनीकरण के लिये खरीदा जिसकी कीमत 200/– रूपये का विकेता को नकद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री आलोक टांक के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वाहन चालक से पहचान पत्र मांगा जिस पर वाहन चालक ने स्वयं का लर्नर लाईसेन्स की छायाप्रति मौके पर प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री परसराम ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 की एक प्रति

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विकेता श्री परसराम को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम क्रीम (फुल फेट) को एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले विकेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा क्रीम (फुल फेट) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परिरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक **AN-1867** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर **AN-1867** नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र कमांक 329 दिनांक 17.12.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3008/एक्ट/2019/2558 दिनांक 12.12.2019 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ क्रीम (फुल फेट) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2020/462 दिनांक 24.11.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड क्रीम (फुल फेट) का विकय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री साबिर अली उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ क्रीम (फुल फेट) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री साबिर अली उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 20000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर